Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

<u>प्रेस नोट</u>

- **जिला परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर, श्री संजय शर्मा के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जयपुर, भरतपुर एवं मुराबादबाद यूपी स्थित 10 ठिकानों पर छापे**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 23 जनवरी गुरूवार/ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर, भरतपुर एवं मुरादाबाद यूपी में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये संजय शर्मा जिला परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 10 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय शर्मा जिला परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित खरीद कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

उक्त सूत्र–सूचना का ए.सी.बी. की **आसूचना शाखा** व **जयपुर नगर चतुर्थ** द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर **आय से अधिक सम्पत्तियाँ अर्जित का मामला** बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भाग चन्द्र, अनुसंधान अधिकारी** के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर श्री ओमप्रकाश किलानियां एएसपी चौकी द्वितीय जयपुर, श्री अमित सिंह एएसपी एसीबी भरतपुर, श्री सुनिल सिहाग एएसपी एसीबी चौकी जयपुर ग्रामीण, श्री रविन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी सीकर, श्री नवल किशोर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी दौसा, श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी भिवाडी,, श्री रघुवीर शरण शर्मा पुलिस निरीक्षक एसीबी एसआईयू जयपुर, श्री सज्जन सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी एसआईयू जयपुर, श्रीमती कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक एसीबी अजमेर, श्रीमती अर्चना मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी एसयू–प्रथम जयपुर की विभिन्न टीमों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के जयपुर, भरतपुर एवं मुरादाबाद यूपी स्थित 10 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

आरोपी व इसके परिवाजनों के नाम कृष्णा नगर में एक मकान, करणी नगर में एक प्लॉट, अलीगढ उत्तरप्रदेश में एक भूखण्ड, चिडिया भवन, बिलारी मुरादाबाद उत्तरप्रदेश में 25 बीघा जमीन मिले। इसके अतिरिक्त आरोपी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा विदेश में कराने संबंधित दस्तावेज, अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश, दो बैंक लॉकर एवं विभिन्न बैंको में अनेक बैंक खाते जिनमें लाखों रुपये जमा हैं, भी मिले हैं। विदेश यात्राओं की जानकारी भी प्राप्त हुई जिनके संबंध में जांच की जा रही है। **बैंक लॉकरों की तलाशी लिया जाना शेष है।**

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी संजय शर्मा द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की खरीद कीमत की अनेक चल–अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से कहीं अधिक है इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।